

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1557
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और कौशल विकास

1557. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास असम के उन शिक्षित बेरोजगार लोगों का ब्यौरा है जो रोजगार के लिए असम राज्य से बाहर चले गए हैं; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) असम के ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने हेतु क्या पहल की गई है;

(ग) सरकार स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि , हथकरघा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों से पिछले पाँच वर्षों में लाभान्वित हुए युवाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू -जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करके , न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके , स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर , युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यवसायों और उद्यमिता स्थापित करने में कुशल बनाना और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से असम सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन

की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है। तथापि , रोजगार के लिए असम राज्य से बाहर जाने वाले असम के शिक्षित बेरोजगार लोगों का रिकार्ड इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (घ): डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो योजनाएं हैं , जिनमें कृषि, हथकरघा और पर्यटन आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं , ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित युवाओं की संख्या का विवरण क्रमशः **अनुबंध- I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

क्र. सं.	राज्य	वि.व.2020-21		वि.व.2021-22		वि.व.2022-23		वि.व.2023-24		वि.व.2024-25	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2177	1606	2135	18616	17070	19829	18045	10328	9033
2	अरुणाचल प्रदेश	28	33	233	71	608	295	678	315	684	265
3	असम	1966	3296	3553	916	12532	6817	10615	8571	5231	4127
4	बिहार	2687	2745	7099	2491	11516	9005	6733	7226	1709	1885
5	छत्तीसगढ़	1109	3683	6499	2883	9742	8484	3045	3958	1170	1759
6	गुजरात	240	875	830	599	2912	1450	3960	2729	3544	2584
7	हरियाणा	26	1213	1772	680	5554	2685	8478	4882	4492	3700
8	हिमाचल प्रदेश	0	117	334	10	3967	2175	4324	3187	3084	2273
9	जम्मू एवं कश्मीर	3454	1945	2300	1102	5459	2754	1177	1245	1767	636
10	झारखंड	1050	1879	4035	1354	10228	7343	11340	8157	6607	4911
11	कर्नाटक	769	1649	1442	673	3757	2813	3795	2656	1797	1914
12	केरल	3053	2931	3219	1097	8623	5224	5212	4078	3052	2572
13	मध्य प्रदेश	903	969	6825	3977	15653	11287	12107	10538	5097	4756
14	महाराष्ट्र	874	3319	348	1612	7830	4020	6381	4614	7761	4347
15	मणिपुर	338	387	811	139	1921	1266	782	854	263	356

16	मेघालय	83	158	456	241	2165	1353	1630	1352	1642	761
17	मिजोरम	37	88	105	94	344	349	725	499	723	474
18	नागालैंड	221	278	1009	614	2371	1409	1714	1592	804	570
19	ओडिशा	7978	7729	10474	4828	16778	13248	3997	5330	947	1095
20	पंजाब	2922	1931	6976	4188	8121	7020	11803	8805	1979	3560
21	राजस्थान	981	1759	3096	3130	6092	6209	7233	4218	5376	4532
22	सिक्किम	0	43	90	0	859	384	1123	720	255	393
23	तमिलनाडु	213	1286	8228	2941	15225	10648	13411	10206	5274	4803
24	तेलंगाना	2752	1436	3177	2494	7094	4564	92	230	2560	1271
25	त्रिपुरा	21	609	1049	193	2244	1189	2126	1336	913	694
26	उत्तर प्रदेश	1540	4068	16898	3765	36567	21921	45215	33458	18080	16245
27	उत्तराखंड	367	416	3645	917	8248	4409	6026	5306	1894	2821
28	पश्चिम बंगाल	521	2544	732	2424	9596	4774	4979	5979	3172	1969
29	पुदुचेरी			165	44	844	343	956	919	436	444
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह			0	0	133	38	547	225	242	196
	कुल	38289	49563	97006	45612	235599	160546	200033	161230	100883	84946

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

आरएसईटीआई के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	वि.व. 2020-21		वि.व. 2021-22		वि.व. 2022-23		वि.व. 2023-24		वि.व. 2024-25	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	318	135	412	381	421	421	500	451	611	497
2	आंध्र प्रदेश	5002	3836	7817	6522	10935	8792	11432	8536	16174	12038
3	अरुणाचल प्रदेश	18	57	225	0	384	438	499	287	1042	779
4	असम	7208	5145	10017	8335	14328	11087	18132	12155	26097	19080
5	बिहार	14868	10817	21268	14330	28292	22769	30434	24495	41900	32128
6	छत्तीसगढ़	7003	4927	10030	7257	12744	11238	15040	10848	19079	14328
7	दादरा और नगर हवेली	560	437	561	447	761	545	752	528	769	547
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	11233	7859	15993	12863	20564	16395	23117	15363	30705	22256
10	हरियाणा	11301	6744	11045	8176	14086	8989	15153	10760	20647	15061
11	हिमाचल प्रदेश	3227	2019	4750	3208	6134	4013	6876	5187	10450	7614
12	जम्मू एवं कश्मीर	4552	3955	5277	4148	7909	6453	8589	6397	19785	14325

13	झारखंड	11467	7982	13725	10828	18979	13844	20760	15370	26681	19849
14	कर्नाटक	16333	12649	18332	17059	24937	19407	25613	20284	31238	23696
15	केरल	5090	4752	5980	5801	9970	7990	10690	8389	14614	11355
16	लक्षद्वीप	162	98	139	34	465	285	467	346	589	419
17	मध्य प्रदेश	19180	15530	22956	18490	32068	24620	35859	27754	50160	36467
18	महाराष्ट्र	16559	13033	19606	15251	27322	21474	30397	22961	41123	30129
19	मणिपुर	287	277	364	301	920	834	1109	903	2664	2057
20	मेघालय	959	687	1649	868	2024	1480	2508	1580	3840	2779
21	मिजोरम	613	457	651	636	907	798	1055	1053	2324	1366
22	नागालैंड	199	118	338	272	396	395	603	332	669	484
23	ओडिशा	15321	11574	16049	13978	20766	17486	22056	19544	30046	24998
24	पुदुचेरी	583	420	568	485	821	780	911	712	1251	880
25	पंजाब	7501	5489	9241	6972	10833	8243	12332	9398	17779	13274
26	राजस्थान	19904	12682	23160	19032	30404	25274	33293	26740	43116	32669
27	सिक्किम	202	134	203	146	411	299	439	335	1020	717
28	तमिलनाडु	15233	12517	17187	14796	26310	21110	29073	23835	36951	29561
29	तेलंगाना	3703	2647	5413	5214	7195	6516	7647	6321	10804	8149
30	त्रिपुरा	1893	836	2274	1781	2744	2237	3386	2653	4309	2765
31	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	408	328	535	384	624	355	585	462	965	686
32	उत्तर प्रदेश	41995	27673	52909	46948	55972	46109	60513	49873	81135	61939
33	उत्तराखंड	6383	4829	6258	4413	7007	5599	7505	5711	13203	9503
34	प. बंगाल	5876	4591	9182	7073	12169	9605	14094	10709	19470	14864
	कुल	255141	185234	314114	256429	40980	325880	451419	350272	621210	467259

